न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 10/2021 (GCMS No. 2021/11) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. श्रीचन्द पुत्र बद्री जाति मीना निवासी रामगढ मुराडा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तलावडा गंगापुर सिटी।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध अदेश नायब तहसीलदार तलावडा दिनांक 05.11.2015 प्रकरण संख्या 617/14 एवं आदेश जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 14.09.2016 प्रकरण संख्या 49/2016 उनवानी सरकार बनाम श्रीचन्द।

उपस्थितिः—

1. श्री श्याम मोहन शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट

नि र्ण य

दिनांक : 26.06.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 14.09.2016 एवं नायब तहसीलदार तलावडा के आदेश दिनांक 05.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहत न्यायालय नायब तहसीलदार तलावडा द्वारा अपीलान्ट को मुकदमा नबर 617/2014 में आराजी ख.नं. 2 वाके ग्राम खेडारामगढ मुराडा पर सम्वत् 2071 पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये 91 एल. आर. के तहत कार्यवाही करते हुये पेलेन्ट व बेदखली तथा सिविल कारावास से दण्डित किया है। जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 27.05.2015 को आंशिक रूप से शसर्त स्वीकार की। तत्पश्चात दिनांक 05.11.2015 को बिना संक्षिप्त जॉच के आदेश पारित कर दिये गये जिसकी अपील पुनः अपीलन्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ पेश की जिसे दिनांक 14.09.2016 को खारिज कर दिया गया। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्ट को जरिये नोटिस तलव किया गया व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय दो द्वारा पारित निर्णय एक मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर पारित किया है। अपीलान्ट को हल्का पटवारी से कोई जिरह का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी गलत रूप से माना है जबकि माननीय राजस्व मण्डल का स्पष्ट मत है कि पूर्व में पारित निर्णय व भौतिक बेदखली के वक्त उपस्थित गवाहान के बयान रिकार्ड पर लिये जाने चाहिए व सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए। माननीय तहत न्यायालय ने जो आदेश पारित किया था उसके संदर्भ में किसी प्रकार की कोई जॉच मौके कब्जे की नहीं की है। जल्दबाजी में उपरोक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.11.2015 को पारित कर दिया गया जिसकी अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने सिविल कारावास की सजा माफ करनें का सशर्त आदेश दिया गया। मातहत अपीलेट अदालत ने भी बिना किसी ठोस आधार के यह माना कि तहत न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। प्रथम दृष्टया दिनांक 05.11.2015 को यह कहकर की कब्जा अतिक्रमी का पाया गया है। दिनांक 28.03.2017 को पुनः अपील खारिज कर दी गयी। पश्चातवर्ती अतिक्रमण का कोई दस्तावेज नहीं है। अपीलान्ट अनपढ है। अपील मीमो पर अंगूठा निशानी है। अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस तामील पर निशानी है। पहचानकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं। तामील पर्याप्त नहीं है। फर्द नीलामी व बेदखली पर श्रीचन्द के हस्ताक्षर हैं जबकि तामील पर निशानी अंगूठा है जो अपने आप में विरोधाभाषी है। कब्जे के संबंध में पुनः जॉच करा ली जाये। अन्डरटेकिंग के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश जल्दबाजी में पारित किया है। मौके पर अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्ट जब अपने अधिवक्ता से जाकर दिनांक 15.12.2020 को मिला तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा निर्णय तो पहले ही हो गया है। अपील खारिज कर दी है। इस पर दिनांक 16.12.2020 को सवाई माधोपुर जाकर तथा दिनांक 01.01.2021 को तहसील कार्यालय में जाकर नकल निर्णय प्राप्त किया। जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। पृथक से दफा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ संलग्न है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार तलावडा का आदेश दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

05.11.2015 एवं आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 14.09.2016 निरस्त फरमाया जावे।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करते हैं। पश्चातवर्ती अतिक्रमण की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान व घटना वही से भी होती है। बावजूद नोटिस तामील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय दिनांक तक उपस्थित नहीं हुए। विवादित आराजी पर यदि अपीलान्ट का कब्जा नहीं था, तो उनके द्वारा जुर्माना राशि क्यों अदा की गई। अपील अपीलान्ट बिना उचित कारण के मियाद बाहर भी पेश की है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय बहाल रखा जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2016 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 15.01.2021 को पेश की है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम को प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है जिसमें उल्लेख किया है कि अपीलान्ट को अपने अधिवक्ता से मिलने पर दिनांक 15.12.2020 को अपील के निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी प्राप्त होते ही अपील पेश कर दी। अतः अपील में हुये बिलम्ब को कन्डोन किया जावे। अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के समर्थन में पत्रावली पर ऐसा कोई सुसंगत साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनको अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी पहले से नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की विधिवत सुनवाई करते हुए निर्णय पारित किया है। अपील अपीलान्ट द्वारा अत्यधिक बिलम्ब से न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है जो न्यायालय के मत में किसी भी स्तर से क्षमा किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। चूँकि प्रकरण में गुणावगुण पर भी सुनवाई की जा चुकी है। अतः उसका गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा। न्यायालय नायब तहसीलदार तलावडा गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 13.10.14 से अपीलान्ट को खसरा नम्बर 02 रकवा 0.10 किस्म चारागाह वाके ग्राम रामगढ मुराडा पर अवैध रुप से अतिक्रमण कर कब्जे के आधार पर मुताबिक रिकार्ड एवं बयान हल्का पटवारी पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास, शास्ती एवं बेदखली का निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलान्ट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर के यहां अपील प्रस्तुत की जिसमें अधीनस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2015 को अपील आंशिक रुप से स्वीकार करते हुए अपीलान्ट को निर्देश दिये कि वह अधीनस्थ न्यायालय नायव तससीलदार तलावडा में शपथ पत्र कब्जा हटाने बावत पेश करें। नायव तहसीलदार मौके पर अतिक्रमण की भौतिक रुप से जाच करावें। यदि अतिक्रमण हटा लिया हो तो सिविल कारावास की सजा माफ करने तथा बेदखली एव शास्ती का निर्णय यथावत रखने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय नायव तहसीलदार तलावडा के यहां दिनांक 27.10.2015 को विवादित आराजी से अतिक्रमण हटाने बावत शपथ पत्र पेश कर दिया, जिसके संबंध में दिनांक 5.11.2015 मौके पर मौका जांच किये जाने पर अपीलान्ट का कब्जा बदस्तूर पाया गया। कब्जे के आधार पर न्यायालय नायव तहसीलदार तलावडा द्वारा अपने आदेश दिनांक 5.11.2015 द्वारा अपीलान्ट के विरुद्व गिरफ्तारी वारन्ट जारी कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्व अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर के यहां अपीलान्ट द्वारा अपील करने पर न्यायालय ने दिनांक 14.09.2016 को अपील अपीलान्ट खारिज कर दी। अपीलान्ट द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय और न ही न्यायालय हाजा में ऐसा कोई विधिक दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विवादित आराजी से उसका अवैध कब्जा बदस्तूर न हो। न्यायालय के मत में उपरोक्त तथ्यों के आलोक में हर दो अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश विधिसम्मत रुप से पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है।

6. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर आदेश दिनांक 14.09.2016 एवं नायब तहसीलदार तलावडा दिनांक 05.11.2015 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.06.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2015 को अपील आंशिक रुप से स्वीकार करते हुए अपीलान्ट को निर्देश दिये कि वह अधीनस्थ न्यायालय नायव तससीलदार तलावडा में शपथ पत्र कब्जा हटाने बावत पेश करें। नायव तहसीलदार मौके पर अतिक्रमण की भौतिक रुप से जाच करावें। यदि अतिक्रमण हटा लिया हो तो सिविल कारावास की सजा माफ करने तथा बेदखली एव शास्ती का निर्णय यथावत रखने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय नायव तहसीलदार तलावडा के यहां दिनांक 27.10.2015 को विवादित आराजी से अतिक्रमण हटाने बावत शपथ पत्र पेश कर दिया, जिसके संबंध में दिनांक 5.11.2015 मौके पर मौका जांच किये जाने पर अपीलान्ट का कब्जा बदस्तूर पाया गया। कब्जे के आधार पर न्यायालय नायव तहसीलदार तलावडा द्वारा अपने आदेश दिनांक 5.11.2015 द्वारा अपीलान्ट के विरुद्व गिरफ्तारी वारन्ट जारी कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्व अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर के यहां अपीलान्ट द्वारा अपील करने पर न्यायालय ने दिनांक 14.09.2016 को अपील अपीलान्ट खारिज कर दी। अपीलान्ट द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय और न ही न्यायालय हाजा में ऐसा कोई विधिक दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विवादित आराजी से उसका अवैध कब्जा बदस्तूर न हो। न्यायालय के मत में उपरोक्त तथ्यों के आलोक में हर दो अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश विधिसम्मत रुप से पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है।

6. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर आदेश दिनांक 14.09.2016 एवं नायब तहसीलदार तलावडा दिनांक 05.11.2015 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.06.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर